डॉ. एस. सिद्धार्थ, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव
वित्त विभाग
बिहार सरकार

पुराना सचिवालय, पटना - 800 015
फोन : +91-612-2215805 (कार्या.)
फैक्स : +91-612-2217694
ई-मेल : finsecy-bih@nic.in

पत्र सं0-ब०17/बी०एस०जी०-157/2013/ 899 /वि०, पटना, दिनांक 20/12/2018

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

विषय - वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव दिनांक-10.01.2019 तक भेजने के संबंध में ।

महोदय,

आगामी विधान मंडल के सत्र में तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित किया जाना है जिसके लिए प्रशासी विभागों से प्रस्ताव प्राप्त किया जाना अपेक्षित है । वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में शामिल करने हेतु निम्नांकित मामलों से संबंधित प्रस्ताव दिनांक-10.01.2019 के अपराह्न 5.00 बजे तक निश्चित रूप से वित्त विभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए ।

1. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम से संबंधित वैसे विषय :-
   (क) जिसमें बजट उपबंध अपर्याप्त हो एवं तृतीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंध नही कराये जाने की स्थिति में, केन्द्र सरकार से इस संबंध में निर्गत राशि का उपयोग नही होने की संभावना हो, अथवा
   (ख) वैसे विषय जिसमें तृतीय अनुपूरक से बजट उपबंध नही कराये जाने की स्थिति में केन्द्र सरकार से स्वीकृत एवं सुनिश्चित रूप से प्राप्त होने वाली राशि की प्राप्ति नही होने की संभावना हो । इसके लिए योजना एवं विकास विभाग से उद्व्यय प्राप्त होना आवश्यक है ।
2. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत टोकन मनी का हीं प्रस्ताव दिया जाए ।
3. वेतनादि से संबंधित वैसे मामलें जिसमें पुनर्विनियोग से राशि का उपबंध कराना संभव न हो, के संबंध में प्रस्ताव ।
4. योजना एवं विकास विभाग से प्राप्त उदव्यय के विरुद्ध प्रस्ताव ।

उपर्युक्त विषय के संबंध में यदि कोई प्रस्ताव हो तो उक्त निर्धारित तिथि तक वित्त विभाग के बजट शाखा को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन
20/12/2018
(एस0 सिद्धार्थ)